Welfare Scheme for Beedi Workers of M.P. and Orissa

772. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have introduced any welfare schemes for Beedi Workers of Madhya Pradesh and Orissa;

(b) if so, the details of those schems;

(c) if so, when those welfare schemes were launched; and

(d) what is the number of Beedi workers brought under these schemes in these States?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A statement is attached. (*See below*)

(d) The various welfare schemes are available to all the beedi workers including those in the States of Madhya Pradesh and Orissa. However the Group Insurance Scheme is Applicable only to 3,30,000 Beedi Workers in the State of Madhya Pradesh and 34,200 Beedi workers in the State of Orissa.

Statement

Name of the Welfare Schemes introduced for Beedi Workers

Sl. No.	Name of the Welfare Scheme	Date of Starting
HEALTH		
1.	Scheme for reservation of beds in TB hospitals for beedi workers.	12.4.1978
2.	Scheme for provision of Mobile/Static-com-Mobile/Static medical Unit.	30.3.1978
3.	Reimbursement of actual cost of treatment to beedi workers suffering from Cancer.	1.12.1984
4.	Scheme for grant of financial assistance to the beedi workers (including Gharkhata workers) for purpose of spectacles.	18.9.1984
5.	Scheme for leprosy relief for Beedi workers.	26.8.1986
6.	Treatment of workers suffring from mental disease.	28.9.1987
7.	Domicilary treatment to the T.B. patiennts	6.8.1985
8.	Family Welfare Programme—for payment of monetary compensation for sterilisation to the beedi workers.	29.7.1988
9.	Maternity benefit scheme for female beedi workers.	1.4.1988
10.	Scheme for reimbursement of expenditure as a financial assistance to beedi workers suffering from heart disease.	11.2.1992
11.	Scheme for reimbursement of expenditure as a financial assistance to beedi workers suffering from Kidney Transplantation.	11.2.1992
12.	Group Insurance Scheme for beedi workers.	1.4.1992
EDUCATION		
1.	Award of scholarship to the children of beedi workers (including Gharkhata beedi workers)	4.4.1978
2.	Financial assistance to the school going children of beedi workers for supply of one set of dress.	13.12.1984

Sl. No.	Name of the Welfare Scheme	Date of Starting
RECREATION		
1.	Establishment of Audio Visual sets/Cinema Vans/ Exhibition of films.	4.5.1978
2.	Organising Sports, games, social and cultural activities for beedi workers.	
3.	Holiday Home Scheme for beedi workers.	3.6.1985
4.	Supply of T.V. Sets to the beedi co-operative sociaty for beedi workers.	19.2.1987
HOUSING		
1.	Build Your Own House Scheme (BYOHS) for beedi workers.	April, 1978
2.	Housing Schemes for Economically Weaker Section of beedi workers.	13.7.1983
3.	Grant of subsidy to co-operative societies of beedi industry for construction of worksheds and godowns.	3.7.1984
4.	Group Housing Scheme for beedi workers.	23.1.1989

देश में श्रमिकों का सर्वेक्षण

773. **श्री शिव चरण सिंह:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने फैक्टरी श्रमिक और कृषि श्रमिक हैं और कितने श्रमिक मकान बनाने के कार्य में लगे हुए हैं;

(ख) उनके बारे में सर्वेक्षण करने का क्या तरीका अपनाया जाता है और क्या सरकार इस कार्य के लिये मजदूर संघों के अलावा किसी अन्य एजेंसी को भी नियुक्त करती है;

(ग) क्या सरकार श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले ग्रामीण बेरोजगारों का अलग से सर्वेक्षण करती है; यदि हां, तो किस रूप में; और

(घ) श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या नियम है, और इन नियमों का पालन किया जाता है अथवा नहीं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी०ए० संगमा): (क) 1991 की जनगणना के अनुसार 74.6 मिलियन व्यक्तियों ने अपना व्यवसाय कृषि श्रमिक सूचित किया। 1990 (अंनतिम) के दौरान कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत सभी कारखानों में कुल अनुमानित औसत दैनिक नियोजन 8.17 मिलियन है। जहां तक भवन निर्माण गतिविधियों में नियोजित श्रमिकों की संख्या का संबंध है, कोई ठोस सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये कर्मकार व्यापक रूप से बिखरे हुए हैं और लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। तथापि मोटे अनुमान से यह संख्या 3.5 मिलियन बैठती है।

(ख) एकीकृत आधार पर उनकी व्यवसाय की स्थिति के अनुसार जनसंख्या की पूर्ण गणना प्रत्येक दस

वर्ष के बाद होने वाली जनगणना के समय की जाती है, जो कि अंतिम बार 1991 में की गई थी। विभिन्न श्रम अधिनियमों के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में जहां उनका क्षेत्राधिकार है, रोजगार के बारे में आंकड़े भी एकत्र किए जाते हैं। आंकड़े केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न विभाग/एजेंसियों के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं।

(ग) रोजगार और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा सामान्य रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण के एक भाग के रूप में नियमित पांच वर्षीय अंतराल के आधार पर ग्रामीण श्रमिक जांचों के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं।

(घ) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 न्यूनतम मजदूर अधिनियम, 1948, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कारखाना अधिनियम, 1948 बागान श्रम अधिनियम, 1951, खान अधिनियम, 1952 आदि जैसे विभिन्न अधिनियम और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंध कर्मकारों के हितों की रक्षा करते हैं। ये अधिनियम/नियम अधिकारियों को उनके अनुपालन को सुनिश्चित करवाने की शक्तियां प्रदान करते हैं।